संख्या-83/2019/2197/92-1-2019-1ब/2018

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 18 जुलाई, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-ग्रामीण अभियंत्रण सेवा-14 मोटर गाड़ियों का क्रय मद में बजट की प्रावधानित धनराशि रू0-30.00 लाख की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय कृपया अपने पत्र सं. जी-75/ग्रा.अ.वि./बजट अनु/पत्रा-सं.-522/2019-20, दिनांक 21 जून 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या-19/2019/1340/92-1-2019-1ब/2018 दिनांक 3/4 अप्रैल,2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान संख्या -13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक -2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम -800-अन्य व्यय -03-ग्रामीण अभियंत्रण सेवा हेतु अधिष्ठान की विभिन्न मानक मदों में प्रावधानित धनराशि रु0-49002.19 लाख (रुपये चार अरब नब्बे करोड़ दो लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त धन राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये अनुदान संख्या -13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-ग्रामीण अभियंत्रण सेवा-14 मोटर गाड़ियों का क्रय मद में रु0-30.00 लाख की धनराशि की बजट व्यवस्था हुई है। अतः मोटर गाड़ियों के क्रय मद में प्रावधानित धनराशि रु0-30.00 लाख (तीस लाख रुपये मात्र) निम्ननांकित शर्तों के अधीन अपके निर्वितन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

1- मानक मद संख्या-14 मोटर गाड़ियों का क्रय के अंतर्गत बजट प्रावधान से संबंधित वित्तीय स्वीकृतियां वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगीं।
2- अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग में शासनादेश सं0 19/2019/1340/92-1-2019-1ब/2018 दिनांक 3/4 अप्रैल, 2019 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

मो0 इफ्तेखारुद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-83/2019/2197(1)/92-1-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

4- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरकिश)

अनु सचिव।